Insolvency and Bankruptcy Board of India

No. IBBI/PR/2022/35
14th September 2022

Press Release

Amendments to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals), Regulations 2016.

The Insolvency and Bankruptcy Board India (IBBI) notified the following regulations on 13th September 2022:

a) Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2022, and
b) Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2022.

2. The salient features of the amendments effected by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2022 are as under:

(i) The fee of the interim resolution professional or the resolution professional, appointed on or after 1st October 2022 shall be decided by the applicant or committee in accordance with the said amendment regulations.
(ii) An insolvency professional shall be paid minimum fixed fee in the range of one lakh rupee to five lakh rupees, per month, depending on the quantum of claims admitted, as specified under Table-1 of Schedule-II of the said amendment regulations. However, the applicant or committee may decide to fix higher amount of fees than the said minimum fixed fee, after taking into consideration market factors such as size and scale of business operations of corporate debtor, business sector in which corporate debtor operates, level of operating economic activity of corporate debtor and complexity related to process.
(iii) For the resolution plan approved by the committee on or after 1st October 2022, the committee may decide to pay, after approval of such resolution plan by the Adjudicating Authority on commencement of payment to creditors by the resolution applicant, performance-linked incentive fee, not exceeding a total of five crores of rupees;
    a. for timely submission of resolution plan to the Adjudicating Authority, as specified under Table-2 of Schedule-II to the said amendment regulations, and/or
    b. for value maximisation, at the rate of one per cent of the amount by which the realisable value is higher than the liquidation value, or
    c. other than a. or b. above, as the committee may deem necessary.

(iv) The fee under amendment regulation may be paid from the funds, available with the corporate debtor, contributed by the applicant or members of the committee and/or raised by way of interim finance and the same shall be included in the insolvency resolution process cost.

3. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2022 prohibits an insolvency professional from accepting /sharing any fees or charges from any professional and/or support service provider who are appointed under the processes.

4. The said amended regulations are available at www.ibbi.gov.in.

***

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं. आईबीबीआई/पीआर/ २०२२/ ३५
१४ सितंबर, २०२२

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में संशोधन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा १३ सितंबर, २०२२ को निम्नलिखित विनियमन प्रकाशित किए गए :
क) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, २०२२, और
ख) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, २०२२।

२. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, २०२२, की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) १ अक्टूबर २०२२ को या उसके पश्चात नियुक्त अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस आवेदक या समिति द्वारा उक्त संशोधन विनियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ii) दिवाला व्यावसायिक को एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये प्रति माह की सीमा में न्यूनतम नियत फीस का भुगतान किया जाएगा, जो कि स्वीकृत दावों के परिमाण पर निर्भर करता है, जैसा कि उक्त संशोधन विनियमों की अनुसूची-II की सारणी-1 के तहत विनिर्दिष्ट है। परन्तु आवदेक या समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, बाजार के कारकों, जैसे कारपोरेट ऋणी के कारबार प्रचालनों के आकार और पैमाने, उस कारबार क्षेत्र को, जिसमें कारपोरेट ऋणी प्रचालन करता है, कारपोरेट ऋणी की आर्थिक गतिविधि का प्रचालन स्तर, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित जटिलताओं को विचार में रखते हुए फीस की विनिर्दिष्ट रकम से उच्चतर रकम नियत कर सकेगी।

(iii) १ अक्टूबर २०२२ को या उसके बाद समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए, समाधान आवेदक द्वारा लेनदारों को भुगतान शुरू होने के पश्चात और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् समिति अपने विवेकानुसार कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, बशर्ते यह फीस पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

क॰ समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस जैसा कि उक्त संशोधन विनियमों की अनुसूची-II की सारणी-२ के अंतर्गत निर्दिष्ट है, और/या

ख॰ अधिकतम मूल्यांकन के लिए उस रकम के एक प्रतिशत की दर पर किया जा सकेगा, जितना वसूलनीय मूल्य समापन मूल्य से उच्चतर है, या

ग॰ उपर दिये गए क॰ और ख॰ के अलावा यथाआवश्यक तरीके से कोई और कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन संरचना लागू कर सकती है।

(iv) इस विनियम के तहत फीस का भुगतान कारपोरेट देनदार के पास उपलब्ध निधि से, आवेदक या समिति के सदस्यों के योगदान से और/या अंतरिम वित्त के माध्यम से एकत्र करके किया जा सकता है और इसे दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत में शामिल किया जाएगा।

३. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, २०२२, दिवाला व्यावसायिक को प्रक्रियाओं के दौरान नियुक्त हुए किसी भी व्यावसायिक और/या सहायता सेवा प्रदाता से किसी तरह की फीस या चार्ज स्वीकार/साझा करने से प्रतिबंधित करता है।

४. उक्त संशोधित विनियम www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

***